राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1862 /2010/अलवर
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–वृत,अलवर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ललित हंस प्रोटीन्स प्रा.लि.
अलवर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री अमर सिंह,सदस्य

उपस्थित :–

श्री वैभव कासलीवाल
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांकः 29.05.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन–वृत अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स)प्रथम,वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 78/उपा/अपील्स/प्रथम/अल/आरएसटी/09–10/10 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2008 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सरसों एवं सरसों खल से तेल विनिर्मित कर विक्रय किये जाने का व्यवसाय किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर एक कच्चे माल की खरीद से सम्बन्धित ''दीवानचन्द'' मार्का पत्रावली पाई गई, जिसे करापवचंन के सन्देह में अभिग्रहीत किया गया। अभिग्रहीत ''दीवानचन्द'' मार्का पत्रावली में दोहरी प्रतियों मे सलग्न बिल एवं बिल्टियों का सत्यापन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संधारित कम्प्यूटराईज्ड खरीद खाते से किया गया। दिनांक 1.4.2008 से 24.6.2008 तक की अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज,1074–75 ज्योति मार्केट,गांधी गली, खारी बावली,नई दिल्ली से रू. 1,41,14,842/–की सरसों कच्चे माल के रूप में क्रय की गई है, जिस पर कोई कर वसूल नही किया है। मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट गांधी गली,खारी बावली नई दिल्ली के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त किये जाने पर, इस फर्म को जारी टिन नम्बर 07150336252 दिनांक 8.4.2008 से निरस्त किया जाना पाया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने रू. 1,41,14,842/–की सरसों राज्य के अपंजीकृत व्यवसाईयों से बिना क्रय कर चुकाये खरीद किया जाना मानते हुए

राजस्थान मूॅल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 4(2) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से क्रय कर रू.5,94,594/–,ब्याज रू. 73,397/– तथा छुपाये गये कर दायित्व के लिए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत देय कर की दुगुनी शास्ति रू. 11,29,188/–आरोपित कर आदेश दिनांक 8.6.2009 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 8.6.2009 से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2010 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2010 से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर एक कच्चे माल की खरीद से सम्बन्धित "दीवानचन्द" मार्का पत्रावली पाई गई, जिसे करापवचंन के सन्देह में अभिग्रहीत किया गया, अभिग्रहीत "दीवानचन्द" मार्का पत्रावली में दोहरी प्रतियों में सलग्न बिल एवं बिल्टियों का सत्यापन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संधारित कम्प्यूटराईज्ड खरीद खाते से किया गया। उनका कथन है कि दिनांक 1.4.2008 से 24.6.2008 तक की अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट,गांधी गली, खारी बावली,नई दिल्ली से रू. 1,41,14,842/–की सरसों कच्चे माल के रूप में क्रय की गयी है, जिस पर कोई कर वसूल नहीं किया गया है,इसलिए मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट गांधी गली,खारी बावली नई दिल्ली के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त किये जाने पर, इस फर्म को जारी टिन नम्बर 07150336252 दिनांक 8.4.2008 से निरस्त किया जाना पाया गया। उनका कथन है कि विक्रेता फर्म के टिन नम्बर 07150336252 दिनांक 8.4.2008 से निरस्त किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त सर्वेक्षण पाये गये दस्तावेजों से सम्बन्धित माल की खरीद रू. 1,41,14,842/–को अपंजीकृत व्यवहारियों से किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 25,55 एवं 61 के अन्तर्गत प्रकरण का निस्ताकर करते हुए कर रू. 5,64,594/–,ब्याज रू. 73,29,188/–आरोपित किया तथा कर दायित्व छुपाने के अभियोग में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रू. 11,29,188/–आरोपित की है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है,जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.6.2008को किये गये सर्वेक्षण के दौरान दिनांक 1.4.2008से 24.6.2008 तक की अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट,गांधी गली, खारी बावली,नई दिल्ली से रू. 1,41,14,842/–की सरसों कच्चे माल के रूप में क्रय की गयी है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 1.4.2008से 24.6.2008 तक की अवधि के जारी बिलों के बिलों की सत्यता की जांच मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट गांधी गली,खारी बावली नई दिल्ली से किये जाने पर उनको जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त फर्म अस्तित्व में नहीं है और उक्त फर्म को जारी टिन नम्बर 07150336252 दिनांक 8.4.2008 से निरस्त कर दिया गया है। उनका कथन है कि मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट गांधी गली,खारी बावली नई दिल्ली का टिन नम्बर 07150336252 दिनांक 8.4.2008 से निरस्त किया गया है, जबकि वक्त सर्वेक्षण पाये गये बिल एवं बिल्टियॉ उक्त अवधि के पहले की है,इसलिए उक्त अवधि की गई खरीद को अपंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद माना गया उचित नहीं है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय विक्रय किये गये माल का नियमित लेखा पुस्तकों में जमा खर्च किया जाकर देय राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है। उनका कथन है कि किसी प्रकार की खरीद को छुपाया गया नहीं है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया कर,ब्याज एवं शास्ति अपास्त योग्य है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत बनाये गये अभियोग का निष्पादन 6 माह की अवधि में किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में बनाये गये अभियोग का निष्पादन नहीं किया गया है इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश अविधिक है। अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान बताया कि पत्रावली के पृष्ठ 103 पर उपलब्ध पत्र के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी के अवधि बढाने सम्बन्धी पत्र को भी अतिरिक्त आयुक्त (कर), वाणिज्यिक कर,राजस्थान जयपुर द्वारा विधि सम्मत नहीं मानते हुए अस्वीकार किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश में न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है, जो विधिक है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.06.2008 को किया गया एवं सर्वेक्षण दिनांक को व्यवसाय स्थल पर एक कच्चे माल की खरीद से सम्बन्धित "दीवानचन्द" मार्का पत्रावली पाई गई,जिसे करापवंचन के सन्देह में अभिग्रहीत किया गया है। "दीवानचन्द" मार्का पत्रावली में दोहरी प्रतियों में सलग्न बिल एवं बिल्टियों का सत्यापन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संधारित कम्प्यूटराईज्ड खरीद खाते से करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 1.4.2008 से 24.06.2008 तक की अवधि में मैसर्स जयश्री एण्टरप्राइजेज, 1074–75 ज्योति मार्केट,गांधी गली, खारी बावली,नई दिल्ली से रू. 1,41,14,842/–की सरसों कच्चे माल का विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त फर्म के टिन नम्बर की जांच कराने पर जानकारी में आया कि उक्त फर्म का दिनांक 8.4.2008 से निरस्त कर दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिन नम्बर निरस्त किये जाने के कारण सरसों रू. 1,41,14,842/–के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर,ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की है।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यथी व्यवहारी द्वारा क्रय–विक्रय किये गये समस्त माल का इन्द्राज अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में किया है,जिसकी छाया प्रतियॉ कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित कच्चे माल सरसों की अर्न्राज्जीय खरीद रू, 1,4,14,842/–के तथ्यों की पूर्ण जांच किये बिना ही अस्वीकार किया गया है, जबकि प्रत्येक सौदे की वास्तविकता में माल के भुगतान,परिवहन एवं अन्य खर्चे भी समाहित होते है, जिनकी जांच के उपरान्त ही अन्तर्राज्जीय खरीद को अमान्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिन नम्बर निरस्त किये जाने के आधार पर कच्चे माल सरसों की खरीद को अपंजीकृत व्यवहारियों से किया जाना माना है जबकि इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने फर्म द्वारा माल सरसों का तेल कन्साईनमेन्ट सेल के रूप में बिना कर वसूल किये बेचान किया गया है। अतः व्यवहारी को मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों से मैसर्स जय श्री एण्टरप्राइजेज दिल्ली की फर्म से माल सरसों रू.1,41,14,842/–की गयी खरीद पर धारा 4(2) के अन्तर्गत धारा 18(1)से (जी) में वर्णित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य (कन्साईनमेन्ट सेल) पर माल का बेचान किये जाने के कारण उक्त खरीद को राज्य के भीतर अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीद किये जाने के सन्देह में धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति एवं कर आरोपित करने की कार्यवाही की है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की वैधानिकता का प्रश्न पर उसे सही नहीं माना है क्योंकि अधिनियम की धारा 25(3) में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि :–

"The assessment under sub-section(1)shall not be made after the expiry of as period of six month for the date of making out the case. However, the Commissioner may, reasons to be recorded in writing,in any particular case, extend this time limit for a further period not exceeding six months."

अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रावधानों के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि "इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान ही विवादित रिकार्ड को अभिग्रहित किया जाकर दिनांक 24.06.2008 को ही धारा 25, 61 आफ आरवैट एक्त 2003 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि "उसी दिनांक से प्रारम्भ की जाती है,जिस दिनांक से करापवचंन का अभियोग बनाया जाकर नोटिस जारी किया गया है। इस तथ्य को आर्डरशीट में भी दिनांक 24.06.08 को ही दर्ज किया गया है। इसलिए समयावधि की गणना दिनांक 24.6.08 से ही मानी जायेगी।"

"चूँकि विवादित प्रकरण के निष्पादन हेतु समयावधि बढाये जाने के सम्बन्धी सक्षम अधिकारी के पत्र को भी श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त (कर) वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर द्वारा विधि सम्मत नहीं मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है,साथ ही माननीय कर बोर्ड ने उपरोक्त उद्धरित मामले में धारा 25(3)आफ आरवैट एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट अवधारित किया हुआ है। इसलिए माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय से भी इस प्रकरण को पूर्ण रूप से आच्छादित करते है। इसलिए विवादित आदेश भी अवैधानिक है.....। "

प्रकरण के उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों एवं उनके समक्ष उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में कर निर्धारण आदेश को अवैधानिक मानते हुए उनके द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया है। फलस्वरूप अपलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2010 की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

29-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य